न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2020

प्रार्थीया:–

श्रीमति दरियावकंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी खुटलिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. श्रीमति सुप्यार कंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी खुटलिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति:– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जी एल कंसारा अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 2 – सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक:–** 23/12/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम खुटलिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा (यानि 1.4886 हैक्टेयर) आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/2 वाँ हिस्सा प्रार्थी का तथा 1/2 वाँ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 इसके लिए तैयार नही हुई तो प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है। दावे की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना बंटवाड़ा करवाये विवादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को खुर्द बुर्द किया जा सकता है। बीना बंटवाड़ा करवाये मौके पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी एवं उनका यह दावा करना ही निरर्थक हो जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वो ताफैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 9 बीघा बिस्वा 4 (यानि 1.4886 हैक्टेयर) वाके मौजा खुटलिया तहसील बिलाड़ा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे तथा इस भूमि के किसी भी भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री जी एल कंसारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने मिथ्या एवं झूठे कथनों पर पेश किया है जिसमें किसी प्रकार प्रार्थीया को कोई संभावना नहीं है। ग्राम खुटलिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नंबर 213 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा यानि 1.4886 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी एवं अप्रार्थीया सं. 01 के खातेदारी की है। उक्त भूमि असिंचित है। तथा उपरोक्त खसरे की भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 01 का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरे की कृषि भूमि का मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 01 के बीच 40 वर्षों पूर्व मौखिक रूप से बंटवाडा हो चुका है तथा उसी मौखिक बंटवाडे के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 01 अपने अपने बंट व हिस्से में आई भूमि पर बतौर कामिल की हैसियत से काबिज चले आ रहे है तथा वादी एवं अप्रार्थीया सं. 01 अपने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर काफी वर्षों पूर्व पक्के मकान का निर्माण करवाया एवं पशुओं के लिए बाडे व छपरे इत्यादि बना रखे है तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 01 अपने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर बनाए गए मकानों में अपने परिवार व बच्चों सहित निवास करते आ रहे है। तथा अप्रार्थीया सं. 01 के बंट के हिस्से की भूमि में अपने पाच पुत्रों के अलग अलग मकान

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बना रखे है। उक्त मकानों में विद्युत कनेक्शन भी अर्जुनसिंह व नाहरसिंह के नाम से लिये हुए है। तथा मौके पर दोनो पक्षकारान के बीच मौके पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स, एवं विद्युत बिलो की फोटोप्रति संलग्न है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 01 की खातेदारी भूमि का 40 वर्षों पूर्व मौखिक बंटवाडा हो चुका है तथा उसी मौखिक बंटवाडे के अनुसार दोनो पक्षकारान अपने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर अपने रहवास हेतु पक्के मकान का निर्माण करवा रखा है तथा अपने पशुओ के लिए बाड़े, छपरे, ठाण आदि बना रखे है तथा दोनो पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 01 के बीच 40 वर्षों पूर्व मौखिक रूप से बंटवाड़ा हो रखा है तथा मौखिक बंटवाडे के अनुसार ही प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 01 अपने अपने बंट व हिस्से में आई भूमि पर काफी वर्ष पूर्व पक्के मकान का निर्माण करवाया तथा पशुओं के लिए भी बाडे, छपरे आदि बनाए है। तथा अप्रार्थीया सं. 01 अपने बंट व हिस्से की भूमि पर बनाए गए मकान में अपने परिवार सहित निवास कर रही है। अप्रार्थीया स. 01 ने काश्त करने हेतु कभी कोई अड़चन नहीं की है। इस प्रकार जब दोनो पक्षकारान मौखिक बंटवाड़ा अनुसार 40 वर्षों से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीया सं. 01 के विरुद्ध कानूनन किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 05 में उल्लेखित सारे कथन झूठ व मिथ्या होने से अस्वीकार है। हककीत यह है कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 01 के बीच 40 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार ही दोनो पक्षकारान अपने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा अप्रार्थीया सं. 01 ने काफी वर्षों पूर्व अपने बंट व हिस्से में आई भूमि में अपने पांचों पुत्रों के परिवार के रहवास हेतु पक्का मकान का निर्माण करवाया है तथा अपने पशुओ के लिए बाडे व छपरे आदि का निर्माण करवाया है। अप्रार्थीया सं. 01 के मकानों में विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है जिसके बिलो की फोटो कॉपी एवं वादग्रस्त जायगा मकान के फोटोग्राफ्स संलग्न है तथा अप्रार्थीया सं. 01 ने अभी कोई नया निर्माण मौके पर नहीं करवाया है तथा ना ही मौके पर कोई नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि अप्रार्थीया सं. 01 को उसके बंट व हिस्से की जायगा रहवासीय मकान से जबरन बेदखल कर दिया गया तो अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीया सं.01 को होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया सं. 01 के पक्ष में है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर अप्रार्थीया सं. 01 की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
विजयनगर

नही होने से भारी खर्च व हजे से खारीज फरमायें। अप्रार्थी सं. 2 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम खुटलिया तहसील बिलाडा में भूमि खसरा नंबर 213 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा में प्रार्थीया का 1/2 वां हिस्सा व अप्रार्थीया का 1/2 वां हिस्सा स्थित है। प्रार्थीया द्वारा बताया गया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि अविभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से विवाद रहता है। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 के बीच 40 वर्षो पूर्व मौखिक रूप से बंटवाडा हो चुका है तथा उसी मौखिक बंटवाडे के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 अपने अपने बंट व हिस्से में आई भूमि पर बतौर कामिल की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। दोनों पक्षकारों ने अपने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर काफी वर्षो पूर्व पक्के मकान व पशुओं के लिए बाडे व छपरे इत्यादि बना रखे है। अप्रार्थीया सं. 1 ने काश्त करने हेतु कभी कोई अडचन नहीं की है। अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा वर्तमान में कोई नया निर्माण मौके पर नहीं करवाया है तथा ना ही मौके पर कोई नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। अन्त में अप्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 का है। राजस्व अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 दोनों ही राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–2078 के अनुसार रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– विवादित भूमि खसरा नंबर 213 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा पर वर्तमान में प्रार्थीया तथा अप्रार्थी संख्या 1 भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।
3. **अपूर्णनीय क्षति** :– अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 को कारित हो जायेगी। किन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 दोनों ही एक दूसरे की भूमि का बैचान नहीं कर सकती है। इसलिए प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति की संभावना प्रतीत नहीं होती है। इस कारण अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा